न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 209/2022

1. अभिषेक तुलसीदासनी पुत्र शंकर लाल जाति सिन्धी (हिन्दू), निवासी मकान नम्बर 60, कॉलोनी–बी–9, सैक्टर 5, रोहिनी राजपुरकालान सैक्टर 7 जिला नॉर्थ दिल्ली, (नई दिल्ली) हाल किशनगढ़, जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. आचूकी देवी पत्नि रामेदव, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
2. कानी पत्नि स्व. शोन्या, जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0 (तर्क)
3. देवकरण पुत्र शोन्या, जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
4. विश्राम पुत्र शोन्या, जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
5. जया सबनानी पत्नि पुरूषोतम सबनानी, जाति सिन्धी (हिन्दू), निवासी– राजापार्क, जयपुर राज0
6. गंगाराम पुत्र देवकरण, जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
7. नन्दू पत्नि देवकरण, जाति गुर्जर,निवासी– ग्राम नोहरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
9. पटवारी पटवार हल्का मुण्डोती, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 08/09/2023

उपस्थितः श्री सुण्डाराम जाट — प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील सुण्डाराम जाट के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 315 के ख0नं0 834/281 क्षेत्रफल 0.7686 हैक्टेयर भूमि ग्राम नोहरिया पटवार हल्का मुण्डोती भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार काबिज काश्त करते चला चला आ रहा है एवं उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

का उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 275, पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 5 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 281, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 6 से 7 की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 835/281 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 की नींव, सींव, मेड़, डोल आदि को लेकर खेत की सीमा संबंधी वाद–विवाद एवं लड़ाई–झगड़ा करते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 अनावश्यक रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 834/281 की नींव, सींव, मेड़ को लेकर अनाधिकृत बलात कब्जा करने का प्रयास करते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की भूमि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बान्दरसिन्दरी के यहां रहन रखी हुयी है लेकिन यह प्रकरण वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एवं घोषणा से संबंधित विवाद नही है। इसलिए उक्त बैंक इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नही है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उक्त बैंक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष भी नही चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकोर्ड अनुसार मौके पर स्थित सीमाओं मे विवाद एवं व्यवधान उत्पन्न करने का हक अधिकार नही है इसलिए भी प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि ख0नं0 834/281 की भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, ताकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण ना करे तथा सीमाओं का विवाद आदि भी नहीं हो। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 की सीमा को लेकर विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर को उक्त भूमि की सीमाज्ञान कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 18.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा समस्त पडौसी खातेदारों एवं मौतविरान की उपस्थिति में उक्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 प्रार्थी के भूमि की सीमाओं में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 के खेत में सूड–सपाट कर सींव पर नींव खुदाई का कार्य कर रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

834/281 की सीमाओं को लेकर विवाद किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 को निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि ख0नं0 834/281 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नही है, तभी अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने मौके पर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि पर ब्लात कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी की भूमि ख0नं0 834/281 की भूमि की सीमाज्ञान के साथ–साथ पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की उपस्थिति में मय पुलिस इमदाद के प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गयी तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 7 प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख0नं0 834/281 की सीमा पर आये दिन बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करेंगे जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होंगे तथा वादों की बहुलता बढेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर एवं अप्रार्थी संख्या 9 पटवारी पटवार हल्का मुण्डोती को आदेश दिया जावे कि वे स्वयं ख0नं0 834/281 के मौके पर मय पुलिस इमदाद के जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 का सीमाज्ञान के साथ–साथ पत्थरगढ़ी करावे तथा माननीय न्यायालय प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजो के आधार पर अन्य कोई अनुतोष प्रार्थी को दिलाना उचित समझे वह भी दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 2 के फौत होने के कारण प्रार्थी के निवेदन पर उनका नाम प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया तथा अप्रार्थीगण सं0 1 व 3 लगायत 7 व 9 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं0 8 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 31.07.2023 को उनका जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 अनावश्यक रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 834/281 की नींव, सींव, मेड़ को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अनाधिकृत बलात कब्जा करने का प्रयास करते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकोर्ड अनुसार मौके पर स्थित सीमाओं मे विवाद एवं व्यवधान उत्पन्न करने का हक अधिकार नही है इसलिए भी प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि ख0नं0 834/281 की भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, ताकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण ना करे तथा सीमाओं का विवाद आदि भी नहीं हो। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 की सीमा को लेकर विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर को उक्त भूमि की सीमाज्ञान कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 18.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा समस्त पडौसी खातेदारों एवं मौतविरान की उपस्थिति में उक्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 प्रार्थी के भूमि की सीमाओं में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की उपस्थिति में मय पुलिस इमदाद के प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गयी तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 7 प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख0नं0 834/281 की सीमा पर आये दिन बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करेंगे जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होंगे तथा वादों की बहुलता बढेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर एवं अप्रार्थी संख्या 9 पटवारी पटवार हल्का मुण्डोती को आदेश दिया जावे कि वे स्वयं ख0नं0 834/281 के मौके पर मय पुलिस इमदाद के जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 का सीमाज्ञान के साथ–साथ पत्थरगढ़ी करावे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि ख0नं0 834/281 रकबा 0.7686 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 834/281 रकबा 0.7686 हैक्टेयर भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 834/281 रकबा 0.7686 हैक्टेयर का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)